

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प भारीजा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्वानु-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर टी एक्ट के अनुसरण में ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बन्धी संख्या 207C-22 में खाता संख्या 37, 38, 39, 40, 41 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र.सं.	ग्राम / पंचायत	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>भारीजा</u>	<u>37, 38, 39, 40, 41</u>	<u>दांताराम पुत्र चन्द्राराम</u>	<u>दांताराम पुत्र चन्द्राराम</u> <u>डि.सी.जी. न्यायालय</u> <u>का स्थान नहीं है।</u> <u>दर्ज करें।</u>

- (राजेश कुमार मीणा) मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 07.12.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 494
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग (गांवों के अभियान-2021)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर